

YOU CAN SUBMIT FORM 15G / 15H ONLY IF INTEREST PAID / CREDITED IS WITHIN THE TAXABALE LIMITS AS BELOW	
INDIVIDUAL RESIDENT BELOW 60 YEARS	₹. 2,50,000/-
INDIVIDUAL RESIDENT ABOVE 60 YEARS (PROVIDED THE TAX LIBAILITY SHOULD BE NIL AFTER TAKING INTO ACCOUNT THE REBATE AVAILABLE UNDER SECTION 87A.)	₹. 5,00,000/-

^{*}Taxable limits are applicable for current Financial Year



आप 15G / 15H फॉर्म तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब भुगतान / जमा ब्याज, नीचे दिए गए कर योग्य सीमा के अंतर्गत हो।	
60 साल से कम उम्र के भारतीय निवासी	₹. 2,50,000/-
60 साल से अधिक के भारतीय निवासी (बशर्ते कर देयता धारा 87 ए के तहत उपलब्ध छूट को ध्यान में रखते हुए शून्य होनी चाहिए.)	₹. 5,00,000/-

^{*} कर योग्य सीमाएं वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती हैं